

।। कार्यालय जनपद न्यायाधीश, पौड़ी गढ़वाल ।।

प्रकीर्ण आदेश संख्या 16/2026

दिनांक : फरवरी 03 , 2026

जजशिप पौड़ी गढ़वाल के सभी सिविल न्यायालयों में बाह्य न्यायालयों सहित वर्ष 2026 में निम्न तिथियों को स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है। अतः निम्नलिखित तिथियों में जजशिप पौड़ी गढ़वाल के सभी सिविल न्यायालय एवं कार्यालय बन्द रहेंगे –

- 1— दिनांक 16 फरवरी, 2026 (स्थानीय अवकाश)
- 2— दिनांक 16 जुलाई, 2026 (हरेला)
- 3— दिनांक 11 नवम्बर, 2026 (भैयादूज)

Sd/-
(धर्म सिंह)
जनपद न्यायाधीश
पौड़ी गढ़वाल।

पत्रांक मैमो / प्रशा0 पौड़ी दिनांक : फरवरी 03 , 2026

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ प्रेषित –

- 1— जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
- 2— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पौड़ी गढ़वाल।
- 3— प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, पौड़ी।
- 4— अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, कोटद्वार।
- 4— अपर जिला जज, कोटद्वार।
- 5— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पौड़ी गढ़वाल।
- 6— सिविल जज (सी0डि0) पौड़ी/कोटद्वार।
- 7— सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल।
- 8— सिविल जज (जू0डि0) पौड़ी/कोटद्वार/श्रीनगर/लैन्सडाउन/सतपुली/धुमाकोट।
- 9— न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी/कोटद्वार।
- 10— अध्यक्ष बार एसोसिएशन पौड़ी/कोटद्वार/श्रीनगर/लैन्सडाउन/धुमाकोट/को इस आशय कि वे सभी सदस्य/अधिवक्तागण को सूचित करने का कष्ट करें।
- 11— सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

आज्ञा से

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
जिला जजी पौड़ी गढ़वाल।